



Neutral Citation No. - 2026:AHC:180901

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 30514 / 2026

शिव प्रताप सिंह और अन्य

.....अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

अपीलार्थी (गण) के अधिवक्ता:

अखिलेंद्र सिंह, प्रभात कुमार सिंह

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभात कुमार सिंह और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री रोशन कुमार सिंह को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह जमानत याचिका थाना ऐरवा कटरा, जिला औरैया में मुकदमा अपराध संख्या 60/2026 में भारतीय न्याय संहिता की धारा 80(2), 85, 115(2), 351(3) और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत अपीलार्थी को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी संख्या 1 मृतक के ससुर और अपीलार्थी संख्या 2 सास हैं, जिन्होंने घरेलू मामलों पर मामूली विवाद के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अपीलार्थी को केवल मृतक के ससुर और सास होने के कारण झूठा फंसाया गया है, जबकि उनके खिलाफ यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं कि उन्होंने मृत्यु से पहले दहेज की मांग पूरी न होने पर मृतक को परेशान किया था। अपीलार्थी को अन्य परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर सामान्य और अस्पष्ट आरोप लगाकर झूठा फंसाया गया है। आगे यह निवेदन किया जाता है कि विवाह के 7 वर्षों के भीतर अप्राकृतिक परिस्थितियों में हुई मृत्यु के मामले में दहेज हत्या की अनुमानित मान्यता प्राप्त करने के लिए, यह दर्शाने के लिए पर्याप्त सबूत होने चाहिए कि मृतक को मृत्यु से ठीक पहले क्रूरता का शिकार बनाया गया था, अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं है। अपीलार्थी संख्या 1 ने एक मामले में अपने आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण दिया है और अपीलार्थी संख्या 2 का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वे 15.05.2026 से जेल में बंद हैं। यदि उन्हें जमानत दी जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेंगे।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्तों की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और निचली अदालतों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आदेश को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि अपीलार्थी जमानत पर रिहा होने के पात्र हैं। तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

6. उपर्युक्त अपराध में शामिल अपीलार्थी - **शिव प्रताप सिंह और मनोज सेंगर** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

i. अपीलार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे जिससे उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

ii. अपीलार्थी बिना किसी स्थगन की मांग किए मुकदमे/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेंगे।

iii. अपीलार्थी जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे या कोई अपराध नहीं करेंगे।

iv. अपीलार्थी अपने द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होंगे।

7. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा।

8. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा अपीलार्थी और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाएगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए गए और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, इस वचन के साथ कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

10. यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय, अपीलार्थी की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।

11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-कारागार पोर्टल के द्वारा और विचारण न्यायालय को ई-मोड के माध्यम से 24 घंटे के भीतर भेजे, जो सर्वोच्च न्यायालय के जमानत मंजूरी की नीतिगत रणनीति मामले में दिए गए आदेशों के अनुपालन में हो, जिसमें स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021 31.01.2023 को निर्णित, लिया गया था और (2024) 10 एससीसी 685 में प्रकाशित हुआ था, साथ ही पीला पहन @ पीला पहन और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य के मामले में, रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169/2025 का निर्णय 29.05.2026 को लिया गया था।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

31 अगस्त, 2026

सीएस/-